(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला--सागर

प्रकरण कमांक आर.98–तीन/09

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–6–15 कैम्प सागर	इस प्रकरण में आवेदक की ओर से दिनांक 29–11–14 के बाद से कोई उप. नहीं हो रहा है तथा आज भी कोई उप. नहीं हुआ । अना. श्री दरयाबसिंह अपने अभि. के साथ स्वयं उप. । इससे ऐसा प्रतीता होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं। अतः आवेदक अभि. की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — CANCELLED
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

R98-III/109

BOR

31 DEC 2008

शरीफ उद्दीन वल्द सिराज उद्दीन उम्र 36 वर्ष,
निवासी-शनीचरी टौरी, पगारा, तहसील व जिला
सागर, म.प्र. ....पुनरीक्षणकर्ता

।। बनाम ।।

दरयावसींग वल्द स्व0 भगवानसींग ठाकुर,
साकिन- ग्राम पगारा तहसील व जिला सागर
म.प्र. ...प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता:

श्री ... सागर ... द्वारा प्रस्तुत। कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

01 / 21-09

यह पुनरीक्षण आवेदक शरीफ उद्दीन द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के रा.प्र.क्र. 144बी/121-06-07 में पक्षकार दरयावसींग बनाम शरीफ उद्दीन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.10.08 से परिवेदित होकर विधिक आधारों के अलावा अन्य आधारों पर न्यायहेतु पुनरीक्षण आवेदनपत्र प्रस्तुत है :---

1. यह कि, आवेदक शरीफ उद्दीन एवं ग्राम के अन्य व्यक्ति ने मिलकर एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय सागर के समक्ष दिनांक 24.4.06 को दिया था अनावेदक द्वारा ग्राम पगारा बिहारीपुरा के शासकीय मेड़ों पर के निस्तार बंद कर देने एवं उसे हटाकर निस्तार खुलवाने हेतु दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक गण को आहूत किया एवं दरयावसींग, [illegible]सींग, राजकुमार मैया माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये एवं अपना जवाब पेश किया

शरीफ उद्दीन